भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2504

गुरूवार, 10 अगस्त, 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर गिग कामगारों को पंजीकृत करने हेतु भौतिक केन्द्र

2504. श्रीमती रंजीत रंजन:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
डा. अमी याज्ञिक:
श्री के.सी.वेणुगोपाल:
डा.एल.हनुमंतय्या:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल के आरंभ होने के बाद से अब तक इस पर पंजीकृत गिग कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया में कामगारों की सहायता हेतु कोई भौतिक केन्द्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गिग कामगारों को रोजगार सुरक्षा संबंधी चिंताओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों के आंकड़ों की गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): 03 अगस्त, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल पर गिग कामगारों का डेटा अलग से नहीं रखा जाता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गणना संलग्न है।

ई-श्रम पोर्टल सुचारू पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करने के लिए स्व-पंजीकरण के साथ-साथ सहायक मोड पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण के कई तरीके प्रदान करता है। स्व-पंजीकरण में ई-श्रम पोर्टल और यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। असिस्टेड मोड पंजीकरण में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। पंजीकरण सुविधा देश भर में 4 लाख से अधिक सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध है। राज्य सेवा केंद्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीएससी कामगारों को जुटाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है।

ई-श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। गिग कामगारों सहित एक असंगठित कामगार अपने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले को एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

--जारी---2/

पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) में 'गिग कामगार' या 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा प्रदान की गई है। संहिता में समुचित सरकार द्वारा गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों को पंजीकरण करने में सहायता करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि में उनके नामांकन को सुकर बनाने के लिए हेल्पलाइन, सुविधा केन्द्र आदि की स्थापना की परिकल्पना की गई है ।

सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों के डेटा की गोपनीयता की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं जैसे सहमति आधारित सुरक्षित डेटा साझाकरण, इन-ट्रांजिट डेटा संरक्षण, एट-रेस्ट डेटा सुरक्षा, फ़ायरवॉल, एपीआई प्रबंधन, क्लाउड पोर्टल, डेटाबेस सुरक्षा, आधार डेटा वॉल्ट, वीपीएन टनल, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा एन्क्रिप्ट करना आदि।

* *****

अनुबंध

'ई-श्रम पोर्टल पर गिग कामगारों को पंजीकृत करने हेतु भौतिक केन्द्र' के संबंध में श्रीमती रंजीत रंजन, श्रीमती फूलो देवी नेतम, डा. अमी याज्ञिक, श्री के.सी.वेणुगोपाल, डा.एल.हनुमंतय्या द्वारा दिनांक 10.08.2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2504 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 03.08.2023 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पर पंजीकृत कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गणना

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29,375
2	आंध्र प्रदेश	80,03,442
3	अरुणाचल प्रदेश	1,42,548
4	असम	69,93,138
5	बिहार	2,86,44,358
6	चंडीगढ़	1,74,610
7	छत्तीसगढ	83,28,250
8	दिल्ली	32,69,959
9	गोवा	63,618
10	गुजरात	1,13,59,721
11	हरियाणा	52,72,366
12	हिमाचल प्रदेश	19,31,773
13	जम्मू और कश्मीर	34,05,886
14	झारखंड	92,12,517
15	कर्नाटक	76,54,981
16	केरल	59,13,285
17	लद्दाख	30,887
18	लक्षद्वीप	2,455
19	मध्य प्रदेश	1,71,87,040
20	महाराष्ट्र	1,37,04,168
21	मणिपुर	4,06,820
22	मेघालय	3,03,626
23	मिजोरम	58,773
24	नागालैंड	2,20,086
25	ओडिशा	1,33,44,267
26	पुदुचेरी	1,80,559
27	पंजाब	55,10,895
28	राजस्थान	1,30,12,044
29	सिक्किम	31,110
30	तमिलनाडु	84,85,159
31	तेलंगाना	42,18,459
32	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	73,268
33	त्रिपुरा	8,53,035
34	उत्तर प्रदेश	8,30,64,619
35	उत्तराखंड	29,81,125
36	पश्चिम बंगाल	2,58,95,198
	कुल	**28,99,63,420**